न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या : 10/2020

सोहन कंवर पत्नि स्व. हनुमान सिंह जाति राजपूत, निवासीः ग्राम मालपुरा डूंगर, तहसील व जिला जयपुर जरिये मुख्त्यारआम श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री हनुमान सिंह जाति राजपूत, निवासीः प्लॉट नंबर ए–116, घाट के बालाजी, आगरा रोड, जयपुर।

––प्रार्थीया

बनाम

1. मन्नी पत्नि रूपनारायण, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम कूँथाडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. लछमा पत्नि गोपी, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम मालपुर डूंगर, सुमेल, तहसील व जिला जयपुर।
3. गोपीराम पुत्र स्व. लादू
4. कैलाश पुत्र बालू
5. प्रभु पुत्र बालू
6. काल्या पुत्र बालू
7. छोटू पुत्र बालू
8. नर्बदा देवी पत्नि बालू
   समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम मालपुर डूंगर सुमेल, तहसील व जिला जयपुर।
9. गोपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
10. दीपू पुत्र लक्ष्मीनारायण
    समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम राजपुरा, पाटलवास, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

–– अप्रार्थीगण

रिव्यू प्रार्थना पत्र विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2019 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर अपील संख्या 1040/2018 उनवानी सोहन कंवर बनाम मन्नी देवी व अन्य अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री नरेश कुमार जैन एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया
श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3

निर्णय दिनांकः 23.10.2020

–: निर्णय :–

1. प्रार्थीया की ओर से एक रिव्यू प्रार्थना पत्र राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर में अपील संख्या 10/2020 उनवानी सोहन कंवर बनाम मन्नी देवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2019 के विरूद्व अंतर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही हिन्दू मुश्तर्का परिवार के सदस्य है। वादीगण के बुजुर्गो के जमाने से ग्राम मालपुरा डूंगर पटवार क्षेत्र सुमेल तहसील व जिला जयपुर में खसरा नंबर 62/119 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि, खसरा नंबर 48 रकबा 16 बिस्वा भूमि, खसरा नंबर 53 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि, खसरा नंबर 57 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि, खसरा नंबर 55 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 60 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है। खसरा नंबर 62/119 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि वादीगण के पूर्वज व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता लादू वल्द जयकिशन के नाम खातेदारी दर्ज थी। खसरा नंबर 48 में रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 53 में रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 57 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा लादू व जगन्नाथ पुत्रान जयकिशन के नाम खातेदारी दर्ज थी। खसरा नंबर 55 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 60 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा लादू व जगन्नाथ पुत्रान जयकिशन हिस्सा बराबर 1/2 व मूल्या पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 के नाम खातेदारी दर्ज थी। लादू का देहान्त हो गया। लादू की मृत्यु के पश्चात् लादू के तीन पुत्र व दो पुत्रियां एवं लादू की पत्नि उनके वारिसान मौजूद थे जो क्रमशः बालू, गोपीराम व रामू, मन्नी, नारायण व लादू की पत्नि सुन्दर थे। इनमें से भी बालू, रामू, नारायणी, सुन्दरी का देहान्त हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 गोपी के भाई बालू की मृत्यु के पश्चात् उसके पांच वारिस है जिनमें कैलाश, प्रभु, काल्या, छोटू व नर्बदा है। मृतक लादू के हिस्से में 6 वारिसान है। उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजीयात में लादू की मृत्यु के पश्चात् लादू के हिस्से की सम्पत्ति में लादू की अंतिम इच्छा से सभी वारिसान का हिस्सा 1/6 है। उपरोक्त वारिसान में से लादू की पत्नि सुन्दरी का वर्ष 1999 में देहान्त हो गया। लादू की पत्नि सुन्दरी वादी संख्या 2 के पास रहती थी और वादी संख्या 2 ने ही सुन्दरी की सेवा सुश्रुषा व देखभाल की थी। वादी संख्या 2 की सेवा से प्रसन्न होकर सुन्दरी ने अपने जीवनकाल में ही मृतक लादू की सम्पत्ति में से अपना हिस्सा 1/6 के संबंध में वादी संख्या 2 को अपना वसीयती उत्तराधिकारी होने की घोषणा कर दी थी। इस प्रकार वादी संख्या 2 उपरोक्त वर्णित आराजीयात में मृतक लादू के हिस्से की सम्पत्ति में मृतका सुन्दरी के हिस्सा 1/6 की कानूनन अधिकारिणी स्वामी व काबिज है। मृतक लादू के हिस्से में वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिस्सा 1/6 के हिसाब से समान रूप से मालिक व उस पर काबिज चले आ रहे है परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से राजस्व अंकन अकेले ही मृतक लादू के हिस्से में से 1/3 हिस्से की खातेदारी क्रमशः बालू, रामू, गोपी के नाम दर्ज कर दिया जबकि मृतक लादू के हिस्से की सम्पत्ति में बालू, रामू, गोपी हिस्सा 1/6 के हिसाब से ही स्वामी व अधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण मृतक लादू की सम्पत्ति में हिस्सा 1/6–1/6 के हिसाब से अपने नाम उपरोक्त आराजीयात में इन्द्राज करवाने के कानूनन अधिकारी है। जमीनो के भाव बढने से प्रतिवादीगण की नियत में खोट आ गई है इस कारण वह गलत इन्द्राज के आधार पर आराजीयात को बेचान करने पर आमादा है। इस कारण वादीगण द्वारा यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादीगण वाद स्वीकार कर ग्राम मालपुरा डूंगर पटवार क्षेत्र सुमेल तहसील व जिला जयपुर में खसरा नंबर 62/119 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि, खसरा नंबर 48

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

रकबा 16 बिस्वा भूमि, खसरा नंबर 53 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि, खसरा नंबर 57 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि, खसरा नंबर 55 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 60 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि में मृतक लादू के हिस्से की भूमि में हिस्सा 1/3 के बजाय हिस्सा 1/6 के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज की जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में पारिवारिक समझौते के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आराजीयात का पक्षकारान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा किया जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 11.01.2018 को वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया। जिसके विरूद्व अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 30.12.2019 को स्वीकार कर प्रकरण को पुनः उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर को प्रतिप्रेषित कर दिया गया। जिसके विरूद्व प्रार्थीया द्वारा उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. रिव्यू प्रार्थना पत्र वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि न्यायालय हाजा द्वारा उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व माननीय सिविल न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम–2 जयपुर जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन ही नहीं किया एवं ना ही पत्रावली पर मौजूद दस्तोवजात का अवलोकन ही किया है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा इकरारनामा की विशिष्ट अनुपालना का वाद मन्नी देवी के विरूद्व निर्णित कर मन्नी देवी एवं लक्ष्मा देवी के हक अधिकार माननीय सिविल न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.02.2018 के माध्यम से समाप्त कर दिये है। इस कारण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 22.02.2018 के माध्यम से वादिया मन्नी देवी व लक्षमा देवी के विवादग्रस्त आराजीयात में हक अधिकार नहीं माने है जिसकी कोई अपील इत्यादि प्रस्तुत नहीं होने से उक्त आदेश अंतिम हो गया है। इस कारण वादिया का विवादग्रस्त भूमि में माननीय सिविल न्यायालय के आदेशानुसार हक अधिकार समाप्त किये जाने की स्थिति में वादिया द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात में अधिकारों की घोषणा बाबत वाद खारिज फरमाया जावे।

4. वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्यतः यह कथन किये कि रिव्यू प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने के अनुरोध पर जोर देते हुये बताया कि परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 124 में रिव्यू प्रार्थना पत्र के लिये जो परिसीमा वर्णित की गयी है, वह निर्णय की दिनांक से 30 दिवस है जबकि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 124 में वर्णित परिसीमा 30 दिवस से अधिक देरी से प्रस्तुत की गई है। इस कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया काल बाधित होने से खारिज किया जावे। साथ ही अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि यदि प्रार्थी/अपीलान्ट न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 30.12.2019 से प्रभावित भी है तो वह अपीलीय न्यायालय राजस्व मंडल में अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अंत में अप्रार्थी ने अपनी बहस समाप्त करते हुये प्रार्थी/अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र गुणावणुण के आधार पर एवं कूननन मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीया/अपीलार्थीया ने उपरोक्त तथ्यों का खंडन करते हुये निवेदन कर न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे 1996 पेज 346 प्रस्तुत कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 229 अनुसूची 3 भाग द्वितीय क्रम संख्या 76 के अनुसार रिव्यू प्रार्थना पत्र के लिये परिसीमा 6 माह की होना बताकर रिव्यू प्रार्थना अंदर मियाद होना बताया है जिसके लिये पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस कारण प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र अंदर मियाद होने से स्वीकार किया जावे।

5. न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्षकारान के वकीलान की नजरसानी प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। बाद मनन पाया गया कि न्यायालय हाजा द्वारा विचाराधीन प्रकरण के संदर्भ में निर्णय दिनांक 30.12.2019 के माध्यम से पूर्व में निर्णय किया जा चुका था जिसके विरूद्व प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब/आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा के समक्ष बहस की गई। उभयपक्षों की बहस पर मनन करने के पश्चात् पाया गया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के पूर्व में किये गये निर्णय दिनांक 30.12.2019 के विरूद्व नजरसानी/रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2020 को प्रस्तुत किया गया जो कि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की जवाब/आपत्ति प्रार्थना पत्र एवं बहस के अनुसार न्यायालय हाजा द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 30.12.2019 के 30 दिवस के पश्चात् प्रस्तुत किये जाने से मियाद बाहर होने से खारिज योग्य बताया गया है जिसके विरूद्व प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे 1996 पेज 346 प्रस्तुत कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 229 अनुसूची 3 भाग द्वितीय क्रम संख्या 76 के अनुसार रिव्यू प्रार्थना पत्र के लिये परिसीमा 6 माह की होना बताया है जिसके अवलोकन किये जाने से स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 229 अनुसूची 3 भाग द्वितीय क्रम संख्या 76 में रिव्यू प्रार्थना पत्र के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो एक विशेष विधि है, के लिये परिसीमा 6 माह दी गई है। जबकि परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 124 में रिव्यू के लिये परिसीमा 30 दिन है जो कि एक सामान्य विधि है। विशेष विधि सामान्य विधि पर अधिभावी होती है। उपरोक्त तथ्य अनुसार विशेष विधि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में रिव्यू प्रार्थना पत्र के लिये परिसीमा की अवधि 6 माह होना स्पष्ट है। इस कारण प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष निर्णय दिनांक 30.12.2019 के विरूद्व प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र के लिये वर्णित परिसीमा 6 माह के भीतर दिनांक 18.03.2020 को प्रस्तुत किये जाने से प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अंदर मियाद माना जाता है जिसके लिये पृथक से धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की कतई आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थी के रिव्यू प्रार्थना पत्र के मियाद बाहर होने बाबत उठाया गया उज्र निराधार पाया जाता है।

पत्रावली में अपीलान्ट द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजात की सत्यापित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 गोपी द्वारा अपीलान्ट सोहन कंवर को दिनांक 10.09.1991 को विवादित आराजीयात में से अपने हिस्से में से 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि जरिये इकरारनामा विक्रय की गई थी, जिसकी विशिष्ट अनुपालना माननीय अपर जिला न्यायाधीश क्रम–2 जयपुर जिला जयपुर के यहां उनवान सोहन कंवर बनाम गोपी वाद संख्या 41/2013 (71/2005) में निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.2013 के माध्यम से सोहन कंवर के हक में विवादग्रस्त आराजीयात का विक्रय पत्र पंजीबद्व किये जाने का आदेश

पारित किया जा चुका है। जिसकी अनुपालना हेतु अपीलार्थीया द्वारा इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम के वारिसान द्वारा उज्रदारी प्रार्थना पत्र क्रमांक 12/2016 उनवानी नानगराम बनाम सोहन कंवर, गोपीराम वगैराह प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम–2 जयपुर जिला जयपुर द्वारा दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विवेचित करते हुये गोपीराम के वारिसान का उक्त विवादग्रस्त आराजीयात पर पैतृक हक अधिकार न मानते हुये निर्णय दिनांक 18.07.2016 के माध्यम से खारिज फरमा दिया गया। तत्पश्चात् माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन इजराय प्रार्थना पत्र में वादिया मन्नी देवी व लक्ष्मा देवी ने एक अन्य उज्रदायरी प्रार्थना पत्र 33/2017 उनवान मन्नी व अन्य बनाम सोहन कंवर दिनांक 30.01.2017 को प्रस्तुत किया जिसे अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 2 जयपुर जिला जयपुर ने उभयपक्षों की साक्ष्य सुनवाई कर दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विवेचित कर आदेश दिनांक 22.02.2018 के माध्यम से उज्रदायरी खारिज कर विवादग्रस्त आराजीयात में मन्नी देवी व लक्ष्मा देवी का हक अधिकार किसी भी प्रकार से न मानते हुये अपीलान्ट सोहन कंवर के हक में हुई डिक्री व निर्णय में विवादग्रस्त आराजीयात में से 2 बीघा 3 बिस्वा का विक्रय पत्र सोहन कंवर के पक्ष में किये जाने के आदेश को यथावत रखा। इसके विपरीत अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात या प्रमाणित प्रतिलिपि इत्यादि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय सिविल न्यायालय के आदेश व निर्णय दिनांक 14.12.2013, आदेश दिनांक 18.07.2016 एवं आदेश दिनांक 22.02.2018 के विरूद्व कोई अपील अपीलीय न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत की हो या विचाराधीन हो। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि माननीय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 2 जयपुर जिला जयपुर द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में विशिष्ट अनुपालना में पारित निर्णय रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्व अंतिम निर्णय हो चुका है। इस प्रकार वादिया/रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय सिविल न्यायालय के समक्ष वाद में अपीलान्ट सोहन कंवर के हक में हुई डिक्री की जानकारी होते हुये भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में जानबूझकर अपीलार्थीया को पक्षकार कायम न कर अधिनस्थ न्यायालय से सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के निर्णय एवं स्वयं के द्वारा प्रस्तुत उज्रदारियों से संबंधित समस्त तथ्यों को अधिनस्थ न्यायालय से छिपाते हुये बदनियतिपूर्वक दूर्भि संधि करते हुये राजीनामा प्रस्तुत कर वाद डिक्री करा लिया गया जबकि वास्तविकता में माननीय सिविल न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 22.02.2018 के माध्यम से वादिया मन्नी देवी व लक्षमा देवी के विवादग्रस्त आराजीयात में हक अधिकार नहीं माने है जिसकी कोई अपील इत्यादि प्रस्तुत नहीं होने से उक्त आदेश अंतिम हो गया है। इस कारण वादिया का विवादग्रस्त भूमि में माननीय सिविल न्यायालय के आदेशानुसार हक अधिकार समाप्त किये जाने की स्थिति में वादिया द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात में अधिकारों की घोषणा बाबत वाद खारिज योग्य पाया जाता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

6. अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2019 खारिज किया जाता है एवं उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.01.2018 खारिज किया जाकर वाद वादीगण ख़ारिज किया जाता है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। तदनुसार प्रार्थना पत्र पुर्नरावलोकन एवं अपील पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 23.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर